कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक–शिविरा / मा / माध्य / SIQE / 60824 / विविध / 2019 / 16 दिनांक :– 27.03.2019

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं,
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा अभियान,
समस्त जिले।

विषयः– एसआईक्यूई कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा–5 मे अध्ययनरत विधार्थियों के लिए SA Feeding एवं परीक्षा व रिपोर्ट कार्ड के सन्दर्भ में।

प्रसंग :– राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के आदेश क्रमांक–रामाशिप / जय / SIQE / 2018–19 / 13329 दिनांकः–25.03.2019

उपर्युक्त विषयान्र्तगत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि उपायुक्त–द्वितीय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर से प्राप्त पत्र के अनुसार कक्षा–5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों का राज्य स्तर से **"प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन"** लेने का प्रावधान है। अतः उक्त विद्यार्थियों का योगात्मक आंकलन तृतीय (SA-3) नहीं लिया जाना है,साथ ही शाला दर्पण पोर्टल पर कक्षा–5 के विद्यार्थियों की केवल SA-2 तक ही फिडिंग की जानी है। शाला दर्पण पोर्टल पर संचालित एसआईक्यूई टैब पर **"एसआईक्यूई (SAs) प्रविष्टि एवं रिपोर्ट कार्ड"** माड्यूल के माध्यम से कक्षा 1 से 4 तक के विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड प्रिन्ट करवाकर विद्यार्थियों को वितरित किया जाना है, तथा कक्षा–5 का रिपोर्ट कार्ड प्रिन्ट नहीं किया जावेगा।

कक्षा–5 के विद्यार्थियों का "प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन" के पश्चात जिलों की डाइट द्वारा ग्रेड कार्ड व प्राथमिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विद्यार्थियों हेतु विद्यालयों को उपलब्ध कराया जावेगा। अतः समस्त संबन्धित को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित की जावें।

उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निजी सचिव, उपायुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निजी सहायक, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
6. समस्त सम्भागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रेषित कर लेख है उक्त की अधीनस्थ जिलों में पालना सुनिश्चित करावें।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक एवं प्रारम्भिक।
8. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी।
9. समस्त पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ)।
10. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. कार्यालय प्रति।

उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर